Government of Rajasthan
National Health Mission, Rajasthan
Department of Medical, Health & FW, Swasthya Bhawan, Jaipur
Tel. No. 0141-2221590, Email ID: md-nrhm-rj@nic.in

F.32(21)/NRHM/CSR/Telemedicine/Part-6/ 33 Date: 02/05/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाइट चिकित्सालय

विषयः– टेली–कन्सल्टेशन सेवा (e-Sanjeevani OPD Services) के क्रियान्वयन बाबत्।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं सी–डेक, मोहाली द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय टेली–कन्सल्टेशन नेटवर्क **(e-Sanjeevani OPD Services)** का क्रियान्वयन 04/05/2020 से चरणबद्ध **(Phase Manner)** तरीके से किया जाना है। जिससे मरीज घर से सुरक्षित तरीके से ऑनलाईन चिकित्सक की सेवायें निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

टेली–कन्सल्टेशन सेवा में सूचना प्रोद्यौगिकी, दूरसंचार एवं कम्प्युटर उपकरणों के मदद से मरीज को ऑनलाईन चिकित्सकों की कुशल सेवायें कम समय में उपलब्ध होती हैं।

टेली–कन्सल्टेशन सेवा के लाभ–

- मरीज़ को घर से सुरक्षित तरीके से निःशुल्क सेवा उपलब्ध होना।
- मरीज़ को कम समय में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध होना।
- मरीज़ को कुशल सेवायें तुरन्त मिलेगी जिससे समय की बचत होगी।

प्रोसेस फ्लो–

1. मरीज अपना मोबाइल नम्बर OTP के माध्यम से सत्यापित (verify) कर अपना पंजीकरण पूर्ण करें।
2. मरीज़ का पंजीकरण पूर्ण होने पर Patient ID एवं Token no. मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
3. मरीज़ अपने मोबाईल नम्बर / Patient ID एवं Token no. का इन्द्राज कर सिस्टम में लॉग–इन करें।
4. मरीज़ अपने बारी का इन्तजार करें एवं टोकन नम्बर आने पर ऑनलाइन चिकित्सक से टेली–कन्सल्टेशन करें।
5. टेली–कन्सल्टेशन पूर्ण होने पर ePrescription डाउनलोड करें। इसकी सूचना (ePrescription का लिंक) मरीज़ के मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी प्राप्त होगी।

क्रियान्वयन–

प्रदेश में चिन्हित 100 चिकित्सा संस्थानों पर **esanjeevaniopd.in** वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन टेली–कन्सल्टेशन सेवायें **(Online Teleconsultation Services)** मरीज़ों को दी जायेगी। यह योजना चरणबद्व तरीके से लागू की जायेगी एवं आवश्यकतानुसार सेवाओं का विस्तार किया जायेगा, जिससे मरीज़ो को सेवायें दी जा सके। मरीज़ो द्वारा टेली–कन्सल्टेशन सेवा के अधिकाधिक उपयोग हेतु जिला स्तर से टेली–कन्सल्टेशन सेवा का प्रचार–प्रसार किया जावे।

टेली–कन्सल्टेशन सेवा का समय–

सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक जनरल फिजिशियन/ पीडियाट्रिशियन एवं गायनोकोलॉजिस्ट।

प्रशिक्षण–

टेली–कन्सल्टेशन सेवाओं के क्रियान्वयन एवं सुचारू संचालन हेतु सी–डेक, मोहाली द्वारा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से 30 मास्टर ट्रेनर्स **(District Level Technical Support Engineer & State Team)** को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनके द्वारा सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानो के चिकित्सको एवं नर्सिंग स्टॉफ को प्रशिक्षण दिया गया हैं। चिकित्सकों को (Hands on Training) भी दी गयी हैं, जिससे मरीज़ों को ऑनलाइन टेली–कन्सल्टेशन सेवायें प्रदान की जा सके।

कम्प्युटर उपकरण–

टेली–कन्सल्टेशन सेवा के संचालन हेतु प्रत्येक चयनित चिकित्सा संस्थान पर निम्नलिखित कम्प्युटर उपकरणों की उपलब्धता होनी आवश्यक है–

- डेस्कटॉप अथवां ऑल–इन–वन कम्प्यूटर मय की–बोर्ड व ऑप्टिकल माउस।
- हैड फोन मय माइक अथवां स्पीकर एवं माइक।
- वेब केमरा
- यूपीएस
- इन्टरेनट कनेक्टिविटी **(High Speed)**
- वेब ब्राउज़र **(Google Chrome)**

उक्त उपकरणों का सुचारू संचालन सम्बन्धित चिकित्सा संस्थान के प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में कम्प्युटर ऑपरेटर/सूचना सहायक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं आवश्यक्तानुसार टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की सहायता ली जा सकती है।

हेल्प–डेस्क–

श्री विजय सोनी, प्रोजेक्ट समन्वयक सी–डेक, (M) 7837024256 (E) vijaysoni@cdac.in

उक्त टेली–कन्सल्टेशन सेवा के संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सकों की ड्यूटी रोटेशन पर टेली–कन्सल्टेशन कक्ष में लगाया जाना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–

- List of Institutions
- User Guide for Doctor
- User Guide for Patient
- Check List

(नरेश कुमार ठकराल)
मिशन निदेशक, एनएचएम एवं
विशिष्ट शासन सचिव चि.स्वा.प.क.विभाग

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव चि.स्वा.प.क.विभाग
3. निजी सहायक, निदेशक (आरसीएच/जन स्वास्थ्य)
4. सयुंक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम,
6. संबधित समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम
8. संबधित प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
9. संबधित समस्त बीपीएम, एनएचएम।
10. सी–डेक, मोहाली।
11. सर्वर रूम/रक्षित पत्रावली।

मिशन निदेशक, एनएचएम एवं
विशिष्ट शासन सचिव चि.स्वा.प.क.विभाग